...कारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

डिक्री

...संख्या 35/17	अपील	
समक्ष - श्री हीरालाल कर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद	धारा अंतर्गत 88, 89, 91, 53 RTA	निर्णय दिनांक 18.5.17
उपस्थिति - अभिभाषक वादी M.K. & Ad.		अभिभाषक प्रतिवादी महेश कुमार नागर एड.

वाद शीर्षक

1. रामकन्या बाई बेवा कालू जाति धाकड़
2. अरुण कुमार पुत्र कालू जाति धाकड़
3. अभिषेक कुमार पुत्र कालू जाति धाकड़
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ निवासीगण डोंगरे खालसा छीपाबड़ौद

बनाम

1- श्रीलाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी डोंगरे खालसा
2- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मेंयह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्रार्थी विभाजन प्रार्थना अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम डोंगरे खालसा का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा
1. श्रीलाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ सा. देह	558	15.14
	349	0.02
	किता 2	15.16
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ सा. देह	121	1.06
	620	12.03
	170	1.12
	115	4.15
	112	1.10
	357	0.06
	किता 6	21.12

साथ ही नियमानुसार..........................रू0 का व्यायानुतोष.......—.......द्वारा..........................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक..........................को निर्गत किया गया।

उपजिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद, जिला बारां (राज.)
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
	पारीश्रमिक अभिभाषक		
	व्यय साक्षी		
	फीस कमिश्नर		
	अन्य मांग पूर्ति		
	ब्याज (%)		

Scanned by CamScanner

दिन

3. रामकन्याबाई पत्नि स्व. कमल, गगनकुमार, अभिषेक पुत्र कमल जाति धाकड़ सा. देह	713	7.00
	93	9.12
	42	0.19
	357	0.06
	किता 4	17.17

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने एवं लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 35/17 दावा
दायरा दिनांक :– 22.03.2017
निर्णय दिनांक :– 26.4.17

उनवान

1. रामकन्या बाई बेवा कमल जाति धाकड
2. अमनकुमार पुत्र कमल जाति धाकड
3. अभिषेक कुमार पुत्र कमल जाति धाकड
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्रीलाल जाति धाकड निवासीगण दीगोदखालसा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र भूरालाल जाति धाकड निवासी दीगोद खालसा
2. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 53 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 26-4-17

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र कुमार ढोढरिया वादी
2. श्री दिनेश कुमार मालव प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 ,89, 91 व 53 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम दीगोद खालसा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे स्थित भूमि खसरा नंबर 42 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 93 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 112 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 115 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 121 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 170 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 349 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 357 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 558 रकबा 15 बीघा बिस्वा, खसरा नंबर 620 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 713 रकबा 7 बीघा कुल किता रकबा 55 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादनी संख्या 1 के ससुर एवं वादी संख्या 4 पिता व वादी संख्या 2 व 3 के दादा है, उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पूर्व मे वादी संख्या 4 के दादा (ग्र फादर) के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही थी, उनके देहान्त के पश्चात् यह भूमियॉ प्रति संख्या 1 श्रीलाल के खातेदारी मे चली आ रही है, वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण का जन्म से ही का अधिकारी अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण की पेत्रक सम्पत्ति है। वादीगण कोरपोरेन्स है

Scanned by CamScanner

वादीगण को इन वादग्रस्त भूमियों मे अपने जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से लगभग 15 वर्ष पूर्व विभाजन हो रहा है, जिसके अनुसार वादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से मे निम्न भूमियॉ खसरा नंबर 713 रकबा 7 बीघा, खसरा नंबर 97 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 42 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 357 रकबा 06 बिस्वा उत्तर भूमि आयी है कुल किता 4 रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा भूमि आयी है।

वादी संख्या 4 के हक व हिस्से मे वादग्रस्त आराजी मे से खसरा नम्बर 620 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 170 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 171 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 115 रकबा 115 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 172 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 357 रकबा 06 बिस्वा दक्षिण की ओर कुल किता 6 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा भूमि आयी है। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे शेष बची भूमि खसरा नंबर 349 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 558 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि आपसी बटवारे मे आयी है, जो उनके जीवनयापन हेतु उनके पास रहेगी। उकत आपसी सहमति के द्वारा हुये बटवारे के आधार पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित कराने के अधिकारी है। उक्त भूमियो के लगान अदा करने एवं आधुनिक तरीके से विकास एवं सुधा करने, बैको से कृषि ऋण लेने मे पक्षकारों के मध्य विवाद बना रहता है, अतः वादीगण वादपत्र के म नंबर 5 में वर्णितानुसार विभाजन के अनुसार भूमियों का खाता विभाजन कराना चाहते है तथा विभाज के अनुसार वादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमियॉ अलग–अलग अपने खातेदारी मे दर्ज करवाने अधिकारी है। वादी ने विवादित ग्रस्त भूमियो का विभाजन कराने हेतु प्रतिवादीगण से कई बार निवे किया, परन्तु उन्होने इस बात पर कोई ध्यान नही दिया। अन्तिम बार दिनांक 17.02.2017 को प्रतिव संख्या 4 से कहने पर उनके द्वारा मना करने पर माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की क वादी कारण दिनांक 17.02.2017 को अन्तिम बार प्रतिवादीगण से खाता विभाजन की कहने पर व उ द्वारा खाता विभाजन करने से मना करने एवं उक्त आराजीयात को पुनः बैंक मे रहन रखने की ध देने पर उत्पन्न हुआ। वादीया द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की और से इकवाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी ने अपने इ जवाब दावा में बताया कि वादीगण का वाद डिक्री किये जाने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति न वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम दिगोद खालसा खाता संख्या 447 2071–74 पेश की गई। साक्ष्य वादी में रामकन्या बाई एवं प्रतिवादी श्रीलाल का शपथ–पत्र पेश कि

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील क कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम दीगोद खालसा मे स्थित है, जो प्रतिवादी क्रम 1 के मे दर्ज है। उक्त विवादित भूमि पेतृक भूमि है। वादिया कन्या बाई के पति का स्वर्गवास हो उसके दो लड़के अमन कुमार व अभिषेक कुमार है। विवादित भूमि मुताबिक सजरा भूरालाल जी भूरालाल जी के मरने के बाद श्रीलाल जी के खाते लग गई, जो वादी क्रम 1 के ससुर व व व 3 के दादा एवं वादीक्रम 4 के पिता है। विवादित भूमि प्रतिवादी क्रम 1 श्रीलाल जी के दर्ज चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के संयुक्त अविभक्त हिन्दु परिवार की पुश्त जिसमें वादीगण का जन्म से ही कानूनी अधिकार है। वादीगण 1 ता 3 के हिस्से में 17.4 बी

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

है, एवं वादीक्रम 4 के हक मे 21.09 बीघा भूमि आई। प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में 15.14 बीघा भूमि आपसी बटवारे के मुताबिक आई, जो उनके जीवन यापन हेतु उनके पास है। आपसी बटवारे के आधार पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित् कराने का अधिकारी है। वकील प्रतिवादी ने अपने कथन मे कहा की वादीगण का वाद स्वीकार कर उनके खाते दर्ज कर दी जावे तो मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम दीगोद खालसा सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 447 के अनुसार विवादित आराजी के कुल खसरा नंबर 11 रकबा 55.05 बीघा प्रतिवादी श्रीलाल पुत्र भूरालाल जाति धाकड के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। वाद पत्र मे प्रस्तुत सजरा के मुताबिक उक्त विवादित आराजी भूरालाल जी के खातेदारी की होना बताया है। भूरालाल जी बाद श्रीलाल जी के खातेदारी में दर्ज हुई। वर्तमान में श्रीलाल जी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार विवादित भूमि पुश्तैनी मानी जायेगी। पुश्तैनी आराजी में वादीगण अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 श्रीलाल द्वारा अपने शपथ–पत्र में बताया कि मेरे तीन पुत्र व पौत्र अमन कुमार, अभिषेक कुमार, व सुरेन्द्र कुमार है। इनके अलावा मेरे अन्य कोई पुत्र व पुत्री नही है। मेरे केवल तीन ही पुत्र है, जो उक्त वाद मे वादीगण है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कोई पुत्री नही होना बताया है। विवादित आराजी पुश्तैनी होने से एवं प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण को देने में कोई आपत्ति नही होना उनक इकवाली जवाब दावे से साबित होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आरा वाके ग्राम दीगोद खालसा के खसरा नंबर 42 रकबा 19 बिस्वा खसरा नंबर 93 रकबा 9.12 बीघा, ख नंबर 112 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नंबर 115 रकबा 4.15 बीघा, खसरा नंबर 121 रकबा 1.06 बी खसरा नंबर 170 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नंबर 349 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 357 रकबा बिस्वा, खसरा नंबर 558 रकबा 15.14 बीघा, खसरा नंबर 620 रकबा 12.03 बीघा, खसरा नंबर रकबा 7 बीघा मे आपसी बटवारे के मुताबिक वादीगण को खातेदार कृषक घोषित् किया जात वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपा

Scanned by CamScanner